न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी– नीरज मिश्र, आर.ए.एस
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना पत्र क्रमांक – 39/2024 (जीसीएमएस नं0 2024/80)

सवाईसिंह पुत्र भबूतसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तह0 शिवगंज जिला सिरोही
– प्रार्थी

बनाम

1. भबूतसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण
2. भंवरसिंह पुत्र भबूतसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

– अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, प्रार्थीगण
2. विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल, अप्रार्थी सं. 2

–:निर्णयः–

दिनांक 05.02.2025

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 भी ग्राम उथमण तहसील शिवगंज के निवासी है। अप्रार्थी संख्या 1 भबूतसिंह पुत्र लादुसिंहजी के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 पुत्र है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02, अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान व उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 की पुश्तैनी भूमि अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा उथमण, पटवार हल्का उथमण, भूअभिलेख निरीक्षण उथमण, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में भूमि आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 716, 717, 718, 719, 720, 721 रकबा क्रमशः 0.5342, 0.0971, 5.4066, 0.4532, 0.7042, 0.1619 कुल किता 6 कुल रकबा 7.3572 हैक्टयर भूमि में से 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 भबूतसिंह का है। प्रार्थना पत्र पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य खातेदारों के संयुक्त खाते की कृषि भूमि है, मौके पर प्रार्थी व उसके पिता अप्रार्थी संख्या 01 अपने हक हिस्से की जमीन पर मौखिक बंटवाड अनुसार खेती करते आ रहे है इसी भूमि पर प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 01 के अलावा सह खातेदार भी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 भबूतसिंह उम्रदराज व्यक्ति है और उनके वैवाहिक जीवन से 5 पुत्र व 1 पुत्री का जन्म हुआ। प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से जरिए पुश्तैनी सम्पत्ति हक प्राप्त हुआ और मिली है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति कृषि भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है बतौर खातेदार काबिज काश्त और उक्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या एक थे। तत्पश्चात प्रार्थी व अन्य पुत्र अपने पिता की खेती में हाथ बटाते थे। अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक को बहका कर दिनांक 18.04.2023 को अपने साथ ले जाकर प्रार्थी की बिना जानकारी के चोरी चुपके बाला बाला प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण 1/6 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जरिए पंजीकृत बक्षीशविलेख निष्पादित करते हुए नामे करवा दी। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी है और प्रार्थी का उक्त सम्पत्ति में भबुतसिंह के नाम दर्ज हिस्से में 1/7 खातेदारी हक हिस्सा आता है। लेकिन अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी को उसके हक हिस्से की सम्पत्ति से वंचित करने की चेष्टा से प्रार्थी की बिना जानकारी के अप्रार्थी संख्या एक को सिखावट में लेकर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि की बख्क्षीश विलेख अपने स्वयं के नाम करवा ली। प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के दादा लादाजी की पुश्तैनी भूमि थी और उनकी मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि उनके पुत्र यानि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 को उत्तराधिकार में मिली और अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त सम्पत्ति जरिए विरासत प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है और पुश्तैनी सम्पत्ति में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 का समान हक अधिकार है और सम्पूर्ण हिस्से को बख्क्षीश करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का समान 1/7–1/7 हक अधिकार होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 को बहकाकर षडयंत्रपूर्वक आप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की सम्पूर्ण 1/6 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 02 के हक में बक्षीश विलेख दिनांक 18.04.2023 को निष्पादित करवा दिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

जबकि अप्रार्थी संख्या 01 को भी यह पूर्ण रूप से भलीभांति जानकारी में था कि प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी सम्पति है और अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त सम्पति अपने पिता की मृत्यु पश्चात् बतौर वारिसदार प्राप्त हुई है. जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य वारिसानों का बराबर–बराबर 1/7–1/7 हक हिस्सा है। प्रार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज है और काश्त करता आ रहा है। प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का बतौर उत्तराधिकारी पुश्तैनी सम्पत्ति होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में 1/7वां हिस्सा अर्थात् कुल भूमि में 1/42 वां हक हिस्सा आता है और उक्त हक हिस्से को अप्रार्थी संख्या 01 को बख्क्षीश करने का कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है और न ही अप्रार्थी संख्या 02 जरिए बख्क्षीश विलेख उक्त सम्पूर्ण हिस्से को प्राप्त करने का हकदार है। बावजूद जानकारी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने पिता अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलकर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को जरिए बक्षीश प्राप्त किया है जो कानुनन अवैध, अकृत व शुन्य है और ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या 2 को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है और प्रार्थी के हिस्से तक शुन्य एवं अंकृत घोषित किया जाना व प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में 1/7 हक हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी स्वर्गीय लादाजी के पुत्र का पुत्र यानि पौत्र है और प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी होने से उक्त सम्पत्ति में 1/42 वें हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने खातेदारी हक अधिकार का कभी भी त्याग नहीं किया है और प्रार्थी वादग्रस्त सम्पत्ति में 1/42वें हिस्से के हकदार होने के कथनों पर आधारित है एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 2 के नाम बक्षीश विलेख निष्पादित कर पंजीयन करा देने तथा अप्रार्थी संख्या–2 के नाम भूमि खातेदारी में दर्ज होने के बाद प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कृषि भूमि को विक्रय हस्तांतरण करने की धमकी देने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से पैदा होने से प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी के हक में सुविधा का संतुलन भी है और यदि अप्रार्थी सं0 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थी के साथ वादग्रस्त संपत्ति को लेकर झगडा फसाद करता है और उसे झगडालू व बदमाश प्रवृति के लोगों को बैचने की धमकी देता है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना अतिआवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पडेगा। अतः अप्रार्थी सं0 2 व उसके ऐजेंटों को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद करना फरमावे।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व अप्रार्थीगण दिनांक 24.07.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये थे व प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन देखते हुए प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनकर अप्रार्थीगण 1 व 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी आदेश तक पाबंद कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 को नोटिस तामील होने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 2 की और से अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल ने दिनांक 16.10.2024 को प्रार्थना पत्र का जवाब व दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थी सं0 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज को फोर्मल पक्षकार बनाया गया था। दिनांक 29.01.2025 को उभय वकील पक्षकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने [illegible] को दोहरा कर बताया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 भबूतसिंह उम्रदराज व्यक्ति है और उनके वैवाहिक जीवन से 5 पुत्र व 1 पुत्री का जन्म हुआ। प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से जरिए पुश्तैनी सम्पत्ति हक प्राप्त हुआ और इसलिए इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति कृषि भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है बतौर खातेदार काबिज काश्त और उक्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या एक थे। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त पुश्तैनी भूमि को प्रार्थी को वर्ष 2023 में बक्षीस की गई है जो कि गलत है। व वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी संपत्ति है व उसमें प्रार्थी का भी हिस्सा है। इसलिये प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–3

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के बहस का खण्डन करते हुए कथन किये कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी किसी प्रकार से वर्तमान में खातेदार नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि नहीं है। न हि प्रार्थी का 1/42 वां हिस्सा रेकर्ड अनुसार इस भूमि में है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता की स्वअर्जित संपत्ति है जो अप्रार्थीगण सं0 1 ने व जामतसिंह ने दिनांक 27.06.1981 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा खरीद की गई थी। जिस पर अप्रार्थी सं0 1 के नाम नामांतरकरण सं0 221 दर्ज हुआ है। जिसे अप्रार्थी सं0 1 अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार बैचान, उपयोग, उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 के नाम अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि का बक्षीसनामा किया है जिसमें प्रतिवादी सं0 3 लगाय 8 की और से भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/42 वां हिस्से का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। न हि किसी भी रूप से प्रार्थी का 1/42 वां हिस्सा बनता है। जिससे प्रार्थी को कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि का विक्रय विलेख भी पत्रावली पर मौजूद है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित संपत्ति में प्रार्थी को कोई हक अधिकार कब्जा इत्यादि नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना साबित नहीं करने से व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है।

—::आदेश::—

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है न हि प्रार्थी ने यह साबित किया कि प्रार्थी का 1/42 वां हिस्सा किस तरह बनता है जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता की स्वअर्जित संपत्ति है जो अप्राथी सं0 1 ने व जामतसिंह ने दिनांक 27.06.1981 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा खरीद की गई थी। जिस पर अप्रार्थी सं0 1 के नाम नामांतरकरण सं0 221 दर्ज हुआ है। जिसे अप्रार्थी सं0 1 अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार बैचान, उपयोग, उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 के नाम अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि का बक्षीसनामा किया है जिसमें प्रतिवादी सं0 3 लगाय 8 की और से भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/42 वां हिस्से का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है न हि किसी भी रूप से प्रार्थी का 1/42 वां हिस्सा बनता है। जिससे प्रार्थी को कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि का विक्रय विलेख भी पत्रावली पर मौजूद है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित संपत्ति में प्रार्थी को कोई हक अधिकार कब्जा इत्यादि नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी **मौजा उथमण के खसरा नम्बर 716, 717, 718, 719, 720, 721 कुल किता 6 कुल रकबा 7.3572 हैक्टयर भूमि** में प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना साबित नहीं करने से व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है। पूर्व में दिनांक 24.07.2024 को जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त किया जाता है व दिनांक 24.07.2024 के द्वारा जमाबंदी में जारी नोट नम्बर एक दिनांक 02.08.2024 को तत्काल हटाने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज
दिनांक 05.02.2025

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

कमांक/कोर्ट/2025/ 76
प्रतिलिपी पालनार्थः—
तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज